सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) कार्यालय
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड 400707

फ़ा.सं: S/5-सामान्य-78/2018-19/P&E JNCH **दिनांक:06.08.2019**

ई निविदा आमंत्रित करने की सूचना

Tender ID-2019_DREV_492634_1

Tender Notice No. 24/2019

सीमाशुल्क आयुक्तालय (जनरल) कार्यालय , जेएनसीएच, न्हावा शेवा, में एक वर्ष के लिए तीन बसो को किराए पर लेने के लिए निविदा मंगाने हेतु सूचना

भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से , **सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जेएनसीएच, न्हावा शेवा,** बिड़ प्रणाली (तकनीकी बिड़ और वित्तीय बिड़) के अधीन संविदा के प्रारंभ से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराए पर चालकों तथा सहायकों समेत तीन बसो को किराए पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं । इसकी जानकारी सीपीपी पोर्टल (URL: http://eprocure.gov.in) से डाऊनलोड कर सकते हैं।

किराए पर लिए जाने की अवधि : एक वर्ष (संविदा प्रदान करने की तिथि से प्रभावी)

ईएमडी (Earnest Money Deposit) : 35,000/- (03 बसों के लिए कूल)

निविदा की लागत : शून्य

महत्वपूर्ण तिथियां पत्रक

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रकाशन की तिथि	**06.08.2019 (16.00 बजे)**
बिड़ / निविदा दस्तावेज़ डाऊनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	**06.08.2019 (16.20 बजे)**
बिड़ / निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि	**29.08.2019 (11.00 बजे)**
तकनीकी बिड़ / निविदा खुलने की तिथि	**30.08.2019 (11.30 बजे)**
वित्तीय बिड़ / निविदा खुलने की तिथि	**03.09.2019 (11.30 बजे)**

टिप्पणी :

(i) निविदा से संबन्धित सभी जानकारी हमारे वैबसाइट (www.jawaharcustoms.gov.in, www.cbec.gov.in और www.eprocure.gov.in) पर उपलब्ध हैं। निविदा जांच में कोई परिवर्तन/ उपांतरण की जानकारी उपरोक्त वैबसाइट पर ही दी जाएगी। इसलिए , बिडरों से अनुरोध हैं की स्वयं की जानकारी रखने हेतु नियमित रूप से उपरोक्त वैबसाइट देखें।

(ii) मैन्युयल बिड़ स्वीकार्य नहीं होगी।

(iii) ई निविदा की प्रस्तुति के लिए, बिडरों से अनुरोध हैं कि सीसीए इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणित करने का अधिकार रखनेवाले किसी प्राधिकरण द्वारा (जैसे की SIFY / TCS / nCODE/eMudhra आदि...) जारी वर्ग III और वर्ग II डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र समेत स्वयं को eprocure.gov.in से रजिस्ट्रीकृत कराएं।

(iv) ईएमडी (Earnest Money Deposit) की लागत राशि 35,00,000 रूपये, केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के प्रारूप में "आरबीआई, सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) , जेएनसीएच, न्हावा शेवा" के नाम से बिड़ प्रस्तुति के अंतिम दिनांक से पूर्व भरी जाये , ऐसा न करने पर प्रस्ताव रद्द किया जा सकता हैं। तथापि , बिडरों कों उनके ई निविदा समेत ईएमडी की स्कैन की हुई प्रतियाँ जोडनी होगी । सफल बिडरों की ईएमडी सुरक्षित जमाराशि में परिवर्तित की जाएगी । तथापि , असफल बिडरों की ईएमडी यथा संभव शीघ्र वापिस की जाएगी।

इस निविदा सूचना की शर्तों और निबंधनों को पूरा करनेवाला ईच्छुक वेंडर सीपीपी पोर्टल (www.eprocure.gov.in) पर उक्त सेवाओं के लिए दो बीड प्रणाली के अधीन उनके बिड़ प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि विभाग द्वारा ई – प्रणाली से होगा। उक्त ई निविदा की सूची उपरोल्लिखित हैं।

सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जेएनसीएच बिना कोई कारण बताते हुए किन्हीं या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। किसी भी प्रकार के या किसी संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जेएनसीएच का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

(टी.आर. दाश)
सहा. सीमाशुल्क आयुक्त
कार्मिक तथा स्थापना अनुभाग,
जेएनसीएच

प्रतियाँ :

1. सूचना पट्ट
2. जेएनसीएच और सीबीआईसी की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु डीसी/ ईडीआई, जेएनसीएच
3. सीपीपीपी की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु डीसी /सीएचएस (www.eprocure.gov.in)

सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड 400707

फ़ा.सं: S/5-सामान्य-78/2018-19/P&E JNCH **दिनांक:06.08.2019**

ई निविदा सूचना

सीमाशुल्क आयुक्तालय (जनरल) कार्यालय , जेएनसीएच, न्हावा शेवा, में एक वर्ष के लिए तीन बसो को किराए पर लेने के लिए निविदा मंगाने हेतु सूचना

भारत के सम्माननीय राष्ट्रपतिजी की ओर से , सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) , जेएनसीएच, न्हावा शेवा,महाराष्ट्र – 400707 बोरीवली/ दादर/कल्याण के 03 नियत स्थानों और जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा के बीच कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए चालकों तथा सहायकों समेत तीन बसो को किराए पर लेने के लिए दो बिड़ प्रणाली के अधीन ई निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
बसों के लिए मार्ग का नक्शा और आवश्यक बैठक क्षमता निम्न अनुसार हैं:

अनु. सं.	मार्ग	बसों की संख्या (बैठक क्षमता)
1	कल्याण से कलम्बोली ,पनवेल से होकर जेएनसीएच तक	1 बस (27 सीट)
2	बोरिवली से गोरेगांव लिंक रोड/ पवई / मानखुर्द/ वाशी से होकर जेएनसीएच तक	1 बस (28 सीट)
3	दादर से ल्लोयड्स इस्टेट , वडाला, माटुंगा, अंटोप हिल , चेंबूर से होकर जेएनसीएच तक	1 बस (31 सीट)

पात्रता मापदंड :

1) बस सेवा प्रदाता को इस क्षेत्र का न्यून्तम पाँच (05) वर्षों का अनुभव हो। साथ ही गत 03 वर्षों में उसका टर्न ओवर न्यून्तम 50 लाख रुपए हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लाभ एवं हानि लेखा बैलेन्स शीट जी.एस.टी./ सेवाकर विवरण और आयकर विवरण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2) सेवाकर प्रदाता के पास दुकान तथा कार्यालय लाइसेंस, सेवाकर पंजीकरण और पैन हो।
3) कोटेशन के साथ "आर बी आई, सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जे एन सी एच" के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर (केवल राष्ट्रीकृत बैंक से) के प्ररूप में रुपए 35,000/- की ईएमडी जोड़ी जाये । ईएमडी के बिना कोटेशन ग्राह नहीं होगा। सहकारी बैंकों के चेक/डिमांड ड्राफ्ट /पे ऑर्डर स्वीकार्य नहीं होंगे।
4) सफल बिडर को राष्ट्रीकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के प्ररूप में वार्षिक संविदा के 50 % रकम कार्य सुरक्षा जमाराशि के रूप में रखनी होगी, जो 02 वर्षों के लिए वैध होगी । आवेदन समय प्रस्तुत की गई ईएमडी सुरक्षा जमा राशि का भाग होगी। असफल बिडरों की जमा राशि यथासंभव शीघ्र लौटाई जाएगी।

निविदा प्रक्रिया और निविदा दस्तावेजों की प्रस्तुति :

क – ई-निविदा प्रक्रिया : यह निविदा 02 प्रकार की हो होगी। जैसे-1) तकनीकी/पात्रता बिड़ और 2) वित्तीय बिड़। निविदा विवरण और बीओक्यू के क्रमशः मद दर में यथा विधित पूर्ण रूप से भरे गए तकनीकी बिड़ के फार्म उप आयुक्त, सीमाशुल्क, कार्मिक एवं स्थापना विभाग, जे एन सी एच, न्हावा शेवा, तालुका उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र,-400707 के नाम से दो अलग फाइलों में www.eprequre.gov.in पर प्रस्तुत करें। तकनीकी/पात्रता बिड़ निर्धारित दिनांक पर ई-निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी। तकनीकी और वित्तीय बिड़ के प्रारूप क्रमश: अनुलग्नक-क और अनुलग्नक –ख के अनुसार होगी।

ख – अपूर्ण रूप से और /या सम्यक दिनांक के पश्चात प्राप्त हुए प्रस्ताव/बिड़ पूर्ण रूप से अस्वीकृत होंगे।

ग- **अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (ई एम डी)** : केवल राष्ट्रीकृत बैंक के "आर बी आई, सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जे एन सी एच, न्हावा शेवा " के नाम से आवश्यक रकम का डिमांड ड्राफ्ट /पे ऑर्डर के रूप में ई एम डी (मूल) निविदा की प्रस्तुति की समाप्ती के पूर्व बंद लिफाफे में बिड़ के दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में पहुचना आवश्यक होगा।

घ- **बिड़ की प्रस्तुति** : बिडर को तकनीकी बिड़ के साथ साथ वित्तीय बिड़ केवल ई निविदा पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करनी होगी। सभी संबन्धित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ बिड़ के साथ संलग्न हों । कूरियर/डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई इस निविदा के बिड़ अस्वीकृत होगी ।

ड़- इच्छुक बिडर ई-निविदा की प्रस्तुति के अंतिम दिनांक के पूर्व विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे हुए सभी दस्तावेज़ बंद लिफाफे में " बसों को किराये में लेने के लिए निविदा" लिख कर 'उप सीमाशुल्क, कार्मिक एवं स्थापना विभाग, जे एन सी

एच, न्हावा शेवा को प्रस्तुत करें। जो भी पक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते है वो स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्राधिकार पत्र देकर उपस्थित रह सकते हैं।

च- तकनीकी बीड निविदा समिति द्वारा जाँची जाएगी। जिनकी तकनीकी बिड़ पात्र हैं केवल उन्हीं बिडरों की वित्तीय बिड़ खोली जाएगी।

छ – विभाग को , बिना कोई कारण बताए, किन्ही या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार के या किसी भी संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा,महाराष्ट्र - 400707 का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

शर्तें तथा निबंधन :-

一- सेवा प्रदाता को यह घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा कि बिड़ की प्रस्तुति के दिनांक पर उसे संगठन / सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो।

二- प्रस्तावित वाहन नए या किसी भी मामले में तीन साल से पुराने न हो, तथापि पुराने वाहनो की स्थिति भी अच्छी हो। प्रबंध किए गए वाहन स्वयं बिडर के स्वामित्व के हो।

三- बिडर को, सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र क्रमांक/ विगत दो वर्षों के सेवा कर के भुगतान की रसीद, पैन कार्ड , दुकान तथा कार्यालय अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करनी होगी। कोट की गई रकम बिना किसी वृद्धि के संविदा अवधि के लिए वैध होगी।

四- सेवा प्रदाता को अनुलग्नक- क के अनुसार सभी अनिवार्य पात्रता मापदण्डों को पूरा करना होगा।

五- सेवा प्रदाता को अनुलग्नक- ख के अनुसार वाहनो का विवरण भरना होगा, जैसे- i.निर्माण का वर्ष

ii. वाहनों का पंजीकरण क्रमांक

六- भुगतानयोग्य रकम में चालकों और सहायकों का वेतन, ईधन , मेंटेनन्स, सफाई , मरम्मत, बीमा आदि... और अन्य कोई आवश्यक व्यय आदि सब कुछ शामिल रहेगा। प्रचलित दरों पर जीएसटी अलग से भरना होगा। यथाप्रयुक्त दर के अनुसार कर की कटौती भी वेतन से ही होगी।

七- कोटेशन स्वीकृत किए जाने पर वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और चालकों और सहायकों की जानकारी विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

八- संविदाकार अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। संविदाकार को सभी नियमों/ अधिनियमों / विधियों का जैसे- न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निर्वाह निधि , ईएसआई, बोनस , ग्राज्युटी, अनुबंध श्रम अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों/ अधिनियमों / विधियों का अनुपालन करना होगा। संविदाकार द्वारा किसी अन्य विधि के अधीन किसी संवैधानिक विधि के उल्लंघन के मामले में, विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

九- चालक के पास बिना कोई प्रतिकूल रिकार्ड और स्पष्ट पूर्ववृत की वैध अनुज्ञप्ति हो। चालक मुंबई और जेएनसीएच के सभी रास्तो से परिचित हो।

十- चालक कार्यालयीन अवधि के दौरान उपलब्ध हो और साथ ही साथ सम्पर्क हेतु उसके पास मोबाइल फोन भी हो।

十一- वाहन के ब्रेक फ़ेल होने पर, प्रचालक द्वारा तुरंत विकल्प व्यवस्था का प्रबंध करना होगा।

十二- पूरे एक महीने की संतोषजनक सेवा प्रदान करने के पश्चात सेवा प्रदाता बिल प्रस्तुत करेगा। बिल की प्रस्तुति के दिनांक से 30-60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

十三- इच्छुक पक्ष हाल ही के पिछले वर्ष या वर्तमान में सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य संगठनों से इस प्रकार की सेवाओं से जुड़े होने के विवरण प्रस्तुत करें।

十四- वाहन साफ और स्वच्क्ष हों। वाहनों के आंतरिक और बाह्य स्वरूप की ठीक देखभाल की गई हो और उचित और नियमित रूप से सफाई की गई हो। तैनाती के पश्चात बस की स्थिति असंतोषजनक पाये जाने के मामले में उन्हें तत्काल बदल दिया जाएगा।

十五- संविदा की समाप्ती के लिए सेवा प्रदाता द्वारा एक महीने की पूर्व सूचना दी जाएगी। सेवा प्रदाता द्वारा बिना कोई सूचना सेवा रोकने पर जमानत राशि जब्त की जाएगी और देयों का भुगतान रोका जाएगा।

十六- यदि आवश्यकता पड़ी तो विभाग के पास बिना कारण बताए कांट्रैक्ट समाप्त करने या किसी विशेष रूट पर सेवा बंद करने का अधिकार होगा।

十七- विभाग वाहन की दुर्घटना के कारण या किन्हीं अन्य वाहन या चालक, सहायक को चोंट पहुँचने या किसी अन्य पक्ष के चालान , हानि , नुकसान के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा। ईस कारण हुई हानि या नुकसान या विधिक व्यय , सेवा प्रदाता / संविदाकार द्वारा उठाया जाएगा।

十八- सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के कार्य अनुशासन का अनुपालन करना होगा।

十九- किसी भी परिस्थिति में बस उपलब्ध न होने पर, उस विशिष्ट दिन (दिनों) की लागत के गैर भुगतान के अतिरिक्त प्रति दिन प्रति बस रुपये 5000/- की पेनाल्टी लगाई जाएगी।

二十- यात्रियों से, कदाचार, असभ्यता, समय का अनुचित अपव्यय , वाहन की असंतोषजनक स्थिति और निश्चित स्थान पीआर पहुँचने में लगातार विलंब से संबंधित शिकायत आने पर , ऐसे प्रत्येक उल्लंघन पर रुपये 1000/- की पेनाल्टी लगायी जाएगी।

二十一- विभाग द्वारा गैरेज की सुविधा नहीं दी जाएगी।

二十二- वाहन, महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा विहित, यदि कोई हो, प्रदूषण मानकों के अनुरूप हो। वाहनो का कार्यान्वयन एवं चालकों के कार्य मोटर वाहन अधिनियम / मोटर वाहन नियमों द्वारा अभिशासीत हो इसकी जिम्मेवारी संविदाकार की होगी। करार अवधि की समाप्ति के पश्चात संविदाकार के किसी भी कार्मिक को रोजगार दिलाना विभाग के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होगा और संविदाकार / एजेंसी द्वारा तैनात कार्मिक के मध्य कोई नियोक्ता – कर्मचारी संबंध विभाग द्वारा ग्राह्य नहीं होगा।

二十三- विभाग, स्वविवेक से, एक वर्ष से अधिक संविदा की अवधि विस्तारित करने या असंतोषजनक सेवा के मामले में संविदा समाप्त कर सकता हैं।

二十四- इस सूचना में दिये गए सभी शर्तों और निबंधनों और तैनात किए जाने वाले वाहनों के वास्तविक निरीक्षण के अधीन सबसे कम बोली लगानेवाले बिडर को संविदा प्रदान की जाएगी।

二十五- बस, प्रस्थान बिन्दु से प्रात: 07.00 बजे और जेएनसीएच से शाम 06.05 बजे या विभाग द्वारा निश्चित किए गए समय के अनुसार निकलेगी। उक्त सेवा एक महीने में कम से कम 22 दिनों के लिए , विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दिनों के अतिरिक्त, चलाई जाएगी।

二十六- सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) , जेएनसीएच, न्हावा शेवा को किन्हीं या सभी निविदाओं को , बिना कोई कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।किसी प्रकार के या किसी भी संबंध में कोई विवाद होने के मामले में, सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) , जेएनसीएच का निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा।

(टी.आर. दाश)
सहा. सीमाशुल्क आयुक्त
कार्मिक तथा स्थापना अनुभाग,
जेएनसीएच

प्रतियाँ :

1. सूचना पट्ट
2. जेएनसीएच और सीबीआईसी की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु डीसी/ ईडीआई, जेएनसीएच सीपीपीपी की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु डीसी/ सीएचएस (www.eprocure.gov.in)

अनुलग्नक : "अ"

-तकनीकी बिड-

1- संस्थान का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर :

2- प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक का नाम एवं पता :

तकनीकी बिड़ के लिए अनिवार्य पात्रता मापदंड

1.	हमारे पास वाहन है	:	हाँ/नहीं
2.	वाहन को कमर्शियल वाहन के रूप में पंजीकृत किया गया है	:	हाँ/नहीं
3.	इस निविदा में मांगी गई आर.सी. पुस्तिका संलग्न कर दी गई है	:	हाँ/नहीं
4.	हमारे पास वैध सेवा कर पंजीकरण/जीएसटी नं. है	:	हाँ/नहीं
5.	हमने सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की हैं	:	हाँ/नहीं
6.	हमारे पास वैध पैन कार्ड है	:	हाँ/नहीं
7.	हमने पैन कार्ड की प्रति संलग्न कर दी है	:	हाँ/नहीं
8.	हमारे पास दुकान/कार्यालय संख्या है	:	हाँ/नहीं
9.	हमने दुकान/कार्यालय संख्या की प्रति संलग्न कर दी है	:	हाँ/नहीं
10.	हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अभिप्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र (न्यूनतम रुपये 50 लाख टर्नओवर) संलग्न किया है ।	:	हाँ/नहीं
11.	हमने तीन वर्षों के अकाउंट के आडिट लाभ\हानि का विवरण सलग्न कर दिया है	:	हाँ/नहीं
12.	हमने तीन वर्षों की आडिट की हुई बैलेन्स शीट सलग्न कर दी है	:	हाँ/नहीं

13. हमने तीन वर्षों आयकर रिटर्न का विवरण सलग्न कर दिया है : हाँ/नहीं
14. हमने पिछले तीन वर्षों का जीएसटी /सेवाकर विवरण सलग्न कर दिया है : हाँ/नहीं

<u>वाहन का विवरण :</u>

1.	**वाणिज्य रूप से पंजीकृत वाहनो की कुल संख्या**	
2.	**वाहन मॉडल**	
3.	**निर्माण का वर्ष**	

- (पात्रता हेतु 1 से 14 बिन्दुओं तक सभी का उत्तर स्वीकारात्मक होने चाहिए एवं निविदा आवेदन के साथ उनके सभी संबन्धित दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए)

<u>अतिरिक्त मूल्यांकन मापदंड :</u>

15. वर्ष 2017-18 में क्या वाहन को किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय को 06 माह से अधिक किराये में दिया गया था : हाँ /नहीं
16. यदि ऊपर 15. का उत्तर हाँ है तो कार्यालयों के नाम दें :
17. आपके बोर्ड या शेअरधारकों में सीमाशुल्क आयुक्त के कार्यालय का : कोई कर्मचारी ठेकेदार की संस्था में कार्यरत हैं, यदि हाँ तो विवरण दें : हाँ /नहीं
18. क्या आपकी कंपनी या फर्म को पहले कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है : हाँ /नहीं
19. क्या आपके किसी निदेशक/साझेदार/इंटर प्रेन्यौर को किसी कानून के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है : हाँ /नहीं

मैंने सही अनुलग्नकों के साथ इस निविदा सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
मुहर

<u>: घोषणा :</u>

(तकनीकी बीड के साथ प्रस्तुत किया जाये)

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार अनुलग्नक –अ में दी गई सूचनाएँ सत्य हैं। मुझे/हमें यह ज्ञात है कि उपर्युक्त दिये गए विवरण में किसी भी प्रकार असमान्यता होती है, तो मुझे/हमें ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा और भविष्य में विभाग से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकेंगे। मैंने/हमने सही अनुलग्नकों के साथ इस निविदा सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं।

मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मैं निविदा दस्तावेज़ हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

हस्ताक्षर

दिनांक : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्थान : मुहर

अनुलग्नक :- ब

वित्तीय बिड़ का प्रारूप

1. फ़र्म का नाम :
2. निविदा आई डी संख्या :
3. निविदा मूल्य रुपए में (नीचे दी गई तालिका के अनुसार) :

क्रम	रूट	बसों की संख्या बैठने की क्षमता	प्रति बस प्रति माह रेट
1.	कलम्बोली, पनवेल होते हुए कल्याण से जेएनसीएच	एक बस (27 सीट)	
2.	गोरेगाँव, लिंक रोड/पवई/मानखुर्द/ वाशी होते हुए बोरीवली से जेएनसीएच	एक बस (28 सीट)	
3.	लोएड इस्टेट, वडाला, माटुंगा, अंटाप हिल, चेंबूर,वाशी होते हुए दादर से जेएनसीएच	एक बस (31 सीट)	

हस्ताक्षर

दिनांक :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्थान :	मुहर